संख्या-1/18/81-का-प्रसको/2005

प्रेषक,

प्रदीप शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ लखनऊ:: दिनॉक :: 24 मार्च, 2005

विषय :- प्रदेश के अधिकारियों में प्रबन्धकीय कौशल के विकास के लिए अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनॉक 31 दिसम्बर, 1981 , दिनॉक 30 नवम्बर, 1983, दिनॉक 23 दिसम्बर, 1985 एवं दिनॉक 23 अक्टूबर, 1989 के क्रम में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :-

(1) उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों में अंकित प्राविधानों / शर्तो के अधीन आई0आई0एम0द्वारा संचालित, लखनऊ, इन्दौर एवं कोझीकोड में स्थापित संस्थानों से एम0बी0ए0करने की सुविधा अनुमन्य होगी ।

(2) शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से , एम0बी0ए0के अतिरिक्त किसी अन्य विषय जैसे -स्ट्रेस मैनेजमेंट आदि में शोध कार्य करने हेतु , पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी ।

2- उपर्युक्त कार्यो पर होने वाला व्यय , उस लेखाशीर्षक / मद के नामे डाला जायेगा जिससे संबंधित अधिकारी का वेतन आदि आहरित किया जाता है ।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-210/दस-05 दिनॉक 01-3-2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(प्रदीप शुक्ला)
सचिव ।

संख्या-1/18/81(1)का-प्रसको/2005,तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3- वित्त (व्यय - नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(बी0एन0दीक्षित)
विशेष सचिव ।